न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/90/2021

वउनवान

1. अमरसिंह पुत्र पूरन जाति कोली मृतक जरिये वारिसार

1/1. भगवानसहाय पुत्र अमरसिंह जाति कोली निवासी टिटपुरी

1/2. मूलचन्द पुत्र अमरसिंह जाति कोली निवासी टिटपुरी

1/3. जगमोहनी पुत्री अमरसिंह जाति कोली निवासी टिटपुरी

1/4. सोमलता पुत्री अमरसिंह जाति कोली निवासी टिटपुरी

1/5. आशा पुत्री अमरसिंह जाति कोली निवासी टिटपुरी

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. रमेश पुत्र मंगला जाति कोली निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर

2. सम्पत पुत्र मंगला कोली (मृतक) जरिये वारिसान

2/1. ओमप्रकाश पुत्र सम्पत

2/2. कमलेश पुत्र सम्पत

2/3. कैलाश पुत्र सम्पत

2/4. बत्तो देवी पत्नी सम्पत निवासीयान ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर

हालवासी तिलबाड तहसील राजगढ जिला अलवर

3. राधा पत्नी सोहनलाल कोली निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर

4. रवि पुत्र सोहनलाल कोली निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर

5. राहुल पुत्र सोहनलाल कोली निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर

हालवासी ग्राम चोर डूँगरी चाद[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

6. उर्मिला पुत्री पूरण जाति कोली निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर हालवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा
7. उप पंजीयक कठूमर

———— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा –अधिवक्ता सायल

श्री महेन्द्रसिंह कपासिया– अधिवक्ता गैरसायल सं01

आदेश

दिनांक ....

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 497 रकवा 0.34 हे. 495 रकवा 0.47 हे. ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है। सायल ने प्रार्थन पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। धूडा सायल व गैरसायलान के वुजुर्ग थे धूडा के एक पुत्र तोताराम पैदा हुआ। तोताराम के तीन पुत्र मंगला, पूरण व मवासी पैदा हुये। मंगला के चार पुत्र कमल, सम्पत चन्दीलाल व रमेश पैदा हुये जिनमें से कमल व चन्दीलाल लावल्द विला औरत फौत हो चुके है। पूरण के दो पुत्र अमरसिंह व सोहनलाल तथा एक पुत्री उर्मिला है जिनमें से पुत्र सोहनलाल फौत हो गया। जिसके वारिस उसकी पत्नी राधा व पुत्र राहुल व रवि है। खसरा नम्बर 254 रकवा 5 वीघा 4 विस्वा सायल के दादा तोताराम की खातेदारी की आराजी है जो उसे अपने पडदादा धूडा से विरासत में प्राप्त हुई है। ख0 नं0 हाल 495, 497, 496 साविक साविक [illegible] 254 वाके ग्राम टिटपुरी से बने है। अमला सैटलमेंण्ट ने खसरा नम्बर 4[illegible] गैरसायल सं0 1–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 16:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

के पिता मंगला, 497 सायल एंव गैरसायल संख्या 3 ला0 6 के पिता एंव दादा पूरण व 496 मवासी पुत्र तोता के नाम दर्ज कर दिया। मवासी ने 496 अमरसिंह व सोहनलाल को वेचान कर दिया। अमला सैटलमेंण्ट ने विना किसी अधिकार के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विना सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी के तीन अलग अलग खाते कायम कर दिये जवकि अमला सैटलमेण्ट को इन्द्राज बदलने कर अधिकार नहीं था। अमला सैटलमेंण्ट को तो विवादित आराजी वावत पुराने इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे। चन्दीलाल विला औरत फौत हो गया जिसका हिस्सा सम्पत व रमेश को विरासत में प्राप्त हुआ है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज कमल व चन्दीलाल के इन्द्राज को सायल कलमजन कराने का अधिकारी है। सायल ने गैरसायल सं0 1–2 से खसरा नम्बर 495 से 3/47 हिस्सा को अपने नाम कराने वावत कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। विवादित आराजी अवट है जिस पर सायल व गैरसायलान के मध्य शामलात में काश्त हो रही है सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान ने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा के लिये इन्कार कर दिया। गैरसायलान ने सायल को उसके हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने व रहन वय करने की धमकी दी है। यदि हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः गैरसायलान ने ता फैसला दावा गैरसायलान को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। सायल के प्रार्थना पत्र पर गैरसायल सं0 3 ल0 6 का नाम तर्क किया गया। गैरसायल सं0 7 उपस्थित आया। गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 16:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

सं0 1–2 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह कपासिया एड0 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी कभी भी सायल के पूर्वजों की आराजी नही रही और ना सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्वन्ध व सरोकार है। विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 व उसके भाई वहनों की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायल ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों को पक्षकार नहीं वनाया है। इस वजह से प्रार्थना पत्र नोन जोइण्डर ऑफ नेसेसरीज पार्टी के सिद्वांतों के अनुसार खारिज होने योग्य है। दीगर लोगों के नाम गैरसायलान की श्रेणी में दर्ज कर रखे है जो गलत है। प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी में किस पक्षकार का कितना हिस्सा है दर्ज नहीं किया है। सैटलमेंण्ट विभाग ने कानूनी प्रावधानो के मुताविक राजस्व रेकार्ड में सही अंकन किया है। कमल व चन्दीलाल का कितना हिस्सा था और वो कव फौत हुये यह कहीं अंकित नहीं किया है। विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। सायल ने गैरसायलान का हिस्सा अंकित नहीं किया है व विवादित आराजी को अवट बताया है। सायल का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है और ना कब्जा है इस वजह से सायल किसी तरह का तकामा कराने का अधिकारी नहीं है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है सायल नाकाविज है नाकाविल सायल का प्रार्थना पत्र मेण्टनेविल नहीं है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमावन्दी संवत् 2073 से 2076, मिलान क्षैत्रफल, जमावन्दी संवत् 2028, 2011, 2015 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया।

प्रार्थना पत्र को साबित कराने के लिये सायल को निम्न तीन विन्दुओं का अपने पक्ष में साबित कराना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल के दादा तोताराम की आराजी है जो सायल के पडदादा धूडा से विरासत में प्राप्त हुई है। वन्दोवस्त विभाग ने विवादित आराजी के तीन अलग अलग खाते कायम कर दिये। अमला सैटलमेंण्ट को इन्द्राज चैंज करने का अधिकार नहीं था। विवादित आराजी में सायल का 3/47 हिस्सा है सायल ने गैरसायलान से राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कराने व अपने हिस्सा की आराजी अपने नाम कराने वावत कहा तो गैरसायलान ने मना कर दिया। गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान सायल को उसके हिस्से से वेदखल करना चाहते है जवरन कबजा करना चाहते है रहन वय करना चाहतें है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को नुकशान होगा। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में साबित है। अतः अधिवक्ता सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने सायल के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है। उक्त आराजी गैरसायलान के वुजुर्गो की आराजी है जो गैरसायलान को विरासत मे मिली है। सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है ना कब्जा है। सायल ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र को सावित करने का भार सायल पर है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये साविक व हाल राजस्व रेकार्ड पेश किया है। सायल का कथन रहा कि उक्त आराजी सायल के पडदादा धूडा की खातेदारी की आराजी थी जिसका साविक खसरा नम्बर 254 है जो धूडा से सायल के दादा तोताराम को विरासत में मिली है। अव यदि सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाये तो हाल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में खसरा नम्बर 495 कमल चन्दी, रमेश, सम्पत पुत्रान मंगला माली सा0 देह दर्ज है व खसरा नम्बर 497 अमरसिह, उर्मिला, रवि, राधा, राहुल कोली सा0 देह खातेदार दर्ज है। विवादित आराजी साविक रेवन्यु रेकार्ड मे धूडा के नाम दर्ज रही हो इस तरह का सायल ने कोई साविक रेवन्यु रेकार्ड पेश नही किया है। सायल ने विवादित आराजी में 3/47 हिस्सा पर कब्जा होना कथन किया है लेकिन सायल का इतना हिस्सा किस प्रकार से है व शेष हिस्सा कौन कौन के हिस्से का है सावित नहीं किया है। सायल का विवादित आराजी पर 3/47 हिस्सा पर कब्जा [illegible] तरह का सायल ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है हाल राजस्व रेकार्ड मे विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.05.23 15:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी खसरा नम्बर 495 के खातेदार जाति से माली है लेकिन सायल ने इनकी जाति कोली बताया है जो समझ से परे है। सायल हाल राजस्व रेकार्ड में खातेदार नहीं है और ना अपना कब्जा सावित किया है। विवादित आराजी में सायल का 3/47 हिस्सा हो व सायल का इस हिस्से पर कब्जा हो विवादित आराजी सायल की वुजुर्गानी पैत्रिक हो सैटलमेंण्ट ने किस तरह से गलत इन्द्राज किये है ये तथ्य तो मूल वाद में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य आने पर ही तय किये जायेगे। सायल विवादित आराजी में खातेदार दर्ज नहीं है सायल को गैरसायलान से किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है इस तथ्य को सायल सावित करने में असफल रहा है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो उन्हें अपार हानि व नुकशान होना संभव है सायल को किसी तरह का नुकशान हो रहा हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 02.07.2021 वेकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

आज दिनांक 5/06/23 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:13 IST
Reason: SelfAttested

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)